कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, 19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**015 / 14, 20.02.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री आशीष वर्मा, चार्टेड एकाउन्टेन्ट ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, 19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ द्वारा दिनांक 20.02.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न पूछे गये हैं :-

कार्यालय की बैठकों एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु क्रय किये गये करयोग्य माल का भुगतान नकद किये जाने पर वैट की कटौती किस प्रकार की जा सकेगी । नकद भुगतान न किये जाने पर सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब एवं कार्य में बाधा उत्पन्न होती है ।

करयोग्य माल कार्यालय उपयोग हेतु किस सीमा तक नकद क्रय किया जा सकता है ।

करयोग्य माल के क्रय पर की गयी 04% वैट की कटौती हेतु विभाग को सम्बन्धित विक्रेता को किस रूप-पत्र पर कटौती प्रमाण-पत्र देना होगा एवं वैट कटौती की राशि को वाणिज्य कर विभाग के बैंक खाते में जमा कराये जाने / संस्था के बिलों से काटे गये वाणिज्य कर राशि के समायोजन के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया होगी ।

चाय, कॉफी, समोसे / खाद्य सामग्री / खुले जूस / फल आदि के कार्यालय उपयोगार्थ अपंजीकृत फर्मों से क्रय करने पर ऐसे बिलों के भुगतान के समय वाणिज्य कर कटौती के सम्बन्ध में क्या नीति अपनायी जाएगी ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री आशीष वर्मा, चार्टेड एकाउन्टेन्ट उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-3130, दिनांक 20.03.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि समस्त करयोग्य वस्तुओं की नकद अथवा किसी अन्य विधि से भुगतान किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत 4% की दर से टी0 डी0 एस0 की कटौती करके राज कोष में जमा किया जायेगा तथा कटौतीकर्ता विभाग द्वारा रूपपत्र-31 में कटौती का प्रमाण-पत्र विक्रेता व्यापारी को जारी किया जायेगा जिसके आधार पर उसे जमा का लाभ देय होगा ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा, विशेष रूप से विभिन्न वस्तुओं के नकद एवं चेक से भुगतान के समय किस रीति से स्रोत पर कटौती किया जायेगा तथा कटौती की गयी धनराशि का

....2

वाणिज्य कर में किस प्रकार समायोजन होगा, स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में स्रोत पर कटौती एवं उसके समायोजन से सम्बन्धित बिन्दु समाहित नहीं हैं। अत: धारा-59 के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए पात्र न होने के कारण प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या का परिशीलन किया गया। पाया गया कि स्रोत पर कटौती (टी0 डी0 एस0) से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत नहीं आता है। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर उ0 प्र0 वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत दिया जाना सम्भव नहीं है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 23 अप्रैल, 2014

ह0 / 23.04.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।